मुख्यालय पुलिस म शक, उत्तर प्रदेश

1- तिलक मार्ग, लखनऊ- 226 001

Headquarter Director Genl. of Police, Uttar Pradesh

1- Tilak Marg, Lucknow- 226 001

संख्या : डीजी-पाँच-55ए-(45)-2008,   दिनांक : मार्च 4, 2008

सेवा में,

श्री एन0के0कौशिक,
सहायक निदेशक,
मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली।

विषय- अत्याचार के संबंध में प्रार्थी श्री बाबू लाल गोंड, पुत्र स्व0श्री राम-नरेश गोंड, नि0ग्राम- पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ से प्राप्त अभ्यावेदन ।

--

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 आयोग के पत्र संख्या-यू0पी0/7/2007/अत्याचार/आर0यू0-1, दिनांक 14-2-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ आवेदक श्री बाबूलाल गोंड पुत्र स्व0श्री राम नरेश गोंड, ग्राम-पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ के प्रार्थना पत्र /प्रपत्र भेजते हुए मामले में तथ्यों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- प्रश्नगत प्रकरण की जाँच पुलिस अधीक्षक, मऊ के माध्यम से कराई गई है। प्राप्त आख्या से विदित हुआ है कि-आवेदक के समान आरोपों विषयक पूर्व में भी जाँच करायी गई है। इस संबंध में वादिनी श्रीमती कमला गोंड पत्नी श्री सुदर्शन गोंड (मऊ) द्वारा दि0 21-7-07 को दी गई तहरीर के आधार पर अ0सं0-606/07 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(10 एससी/एसटी एक्ट, बनाम प्रभु पाण्डे, कमलेश पाण्डे पंचदेव पाण्डेय, अखिलेश पाण्डेय(मऊ) के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी-मधुवन (श्री सत्यम) द्वारा प्रारम्भ कर विवेचना के दौरान शासनादेश के अनुसार जनपद मऊ में गोंड जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति /जन जाति का दर्जा प्राप्त न होने के संबंध में उप जिलाधिकारी-मऊ के कार्यालय से प्राप्त किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर अभियोग में एससी/एसटी ऐक्ट की धाराओं का अपराध होना नहीं पाया गया एवं विवेचना थानाध्यक्ष-हलधरपुर द्वारा सम्पादित कर अभियोग में नामित उपरोक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323/504/506 भा0द0वि0

का जुर्म सिध्द होने पर आरोप पत्र सं0-97 दिनांक 17-10-07 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में ही अपेक्षित विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जांच से अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, मऊ के पत्र संख्या-एसटी-एसपी-सी-(2)-17/2008, दिनांक 9-3-2008 द्वारा प्राप्त आख्या की छाया प्रति संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0सी0पाण्डेय)
पुलिस महानिरीक्षक(लोकशिकायत)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।